न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 244/2024
अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

खेमाराम बनाम धर्माराम व अन्य

प्रार्थी वकील – श्री नरेश भादू
विप्रार्थीगण वकील – श्री बलदेव सिंह राठौड़
शेष विप्रार्थीगण एकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 14.05.2026

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत **मौजा ईश्वरपुरा में खसरा सं. 76, 77 रकबा क्रमशः 17.3286, 25.6327 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र कापराऊ, तहसील चौहटन** में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेंदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री बलदेवसिंह राठौड़ द्वारा वकालतनामा पेश कर आदेशिका पर जवाब नही देने बाबत् प्लीड किया। शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी व विप्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि **मौजा ईश्वरपुरा में खसरा सं. 76, 77 रकबा क्रमशः 17.3286, 25.6327 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र कापराऊ, तहसील चौहटन** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि दोनो पक्षो के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन